न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3174–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2013 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण क्रमांक 67/रा0नि0म0 3/अ–12/12–13

नरेन्द्र बड़जात्या, आयु लगभग 61 वर्ष
आत्मज स्व0 श्री गुलाबचंद जी बड़जात्या
निवासी ई–2/255, अरेरा कालोनी, भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

1 विपिन कुमार बड़जात्या
आत्मज श्री बंसत कुमार बड़जात्या
निवासी इ–5/106, अरेरा कालोनी, भोपाल

2 संजय कुमार बड़जात्या
आत्मज श्री बसंत कुमार बड़जात्या
निवासी ई–3/96 अरेरा कालोनी, भोपाल

3 श्री नितिन कुमार बड़जात्या
आत्मज श्री बसंत कुमार बड़जात्या
निवासी ई–4/193 अरेरा कालोनी, भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0 एन0 कोचर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 28 अगस्त, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश 18–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 विपिन कुमार द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भैरोपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 2 /1 रकबा 0.210 भाग एवं सर्वे कमांक 1 रकबा 0.100 भाग उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और वह उक्त भूमियों का सीमाकंन कराना चाहता है, अतः सीमाकंन किया जाये । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 67/रा0नि0म0 3/अ–12/12–13 दर्ज किया जाकर दिनांक 11–7–2013 को सीमाकंन किया गया । तत्पश्चात दिनांक 17–7–2013 को पुनः सीमाओं का सत्यापन किया जाकर दुबारा सीमाकंन करते हुये दिनांक 18–7–2013 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमाकंन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा एक सर्वे नंबर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि सीमाकंन 4 सर्वे नंबरों का किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से सीमाकंन में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि ग्राम भैरोपुर एवं मिसरोद की मेढ़ मिसरोद की तरफ सरक रही है, अतः पहले इस मेढ़ को सही कराया जाये तत्पश्चात सीमाकंन किया जाये, परन्तु आवेदक की इस आपत्ति पर सीमाकंन आदेश पारित करने के पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और न ही आपत्ति के संबंध में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 2 ग्रामों की सीमायें अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है और दोनों ग्रामों की सीमाओं से आवेदक की भूमि लगी हुई है, ऐसी स्थिति में यह अनिवार्यता थी कि राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रथमतः आवेदक की आपत्ति को निराकृत करते, तत्पश्चात सीमाकंन आदेश पारित करते, परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने से राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमाकंन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है और यह उनका पारिवारिक मामला है । यह भी कहा गया कि सीमाकंन में दोनों बार आवेदक को सूचना दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की भूमि ग्राम भैरापुर में है, जबकि अनावेदक कमांक 1 द्वारा

मिसरोद की भूमि के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । यह भी कहा गया कि दोनों ग्रामों की मेढ़ो को अधीक्षक, भू–अभिलेख निर्णीत करेंगे मेड़ो के निर्धारण का अधिकार राजस्व निरीक्षक को नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधिवत सीमाकंन किया जाकर सीमाकंन आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा, प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा ग्राम भैरोपुर स्थित उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 2/1 एवं 1 के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो सीमाकन पंचनामा तैयार किया गया है उसमें सर्वे क्रमांक 1, 2/1, 5/2, 6/2 रकबा क्रमशः 0.21, 001 एवं 0.10 हेक्टेयर का सीमाकंन किये जाने का उल्लेख किया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 4 सर्वे क्रमांकों की भूमि का सीमाकंन किया गया, अर्थात जिन भूमियों के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं था उनका भी सीमाकंन किया गया है, जो उचित नहीं है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमाकंन की कार्यवाही इसी आधार पर उचित नहीं ठहराई जा सकती है । इसके अतिरिक्त पंचनामें से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति दर्ज की गई है कि पूर्व में हुये सीमाकंन के मुकाबले इस सीमाकंन में भैरोपुर–मिसरोद की मेढ़ मिसरोद की तरफ सरक रही है । अतः एस0एल0आर0 से इस मेढ़ को सही कराना न्यायोचित होगा । इसके पश्चात भी राजस्व निरीक्षक द्वारा पुनः 17–7–2013 को सीमाकंन किया जाकर सीमाकंन पंचनामा तैयार किया गया है, जिसमें सर्वे क्रमांक 1, 2/1, 5/2 एवं 6/2 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर की सीमाओं का पुनः सत्यापन कर सीमाकंन किया गया है, परन्तु इसके पूर्व आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है और रेल्वे लाईन को आधार मानकर सीमाकंन किया गया है, जबकि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत सीमाकंन स्थाई सीमा चिन्हों चांदा इत्यादि से किया जाता है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–7–2013 को किया गया सीमाकंन भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, और उक्त सीमाकंन के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 18–7–2013 निरस्ती योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक

आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक अनावेदकगण के स्वामित्व की भूमियों का सीमाकंन उभयपक्ष के समक्ष विधिवत करें एवं उन्हैं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सीमाकंन आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल–3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु, राजस्व निरीक्षक मण्डल–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर